30-9-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... 6-11-25....को पेश की जावे
6-11-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक..... 31-12-25 [illegible] पेश की जावे (हस्ताक्षर)
31-12-25	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया [illegible] अब पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक 20-1-26 को पेश की जावे
20-1-26	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित पत्रावली मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। पत्रावली मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पत्रावली मे पुनः माजिद बहस सुनी गई, अपील अपीलान्ट की स्वीकार कर तहसीलदार बेगूं को रिमाण्ड कि गई, विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 02/2025

1. लादूलाल पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ
2. वरदीचंद पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ

अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता हीरा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ
2. सोहनलाल पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ
3. चन्द्रप्रकाश पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांक :— 20.01.2026

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 450 ग्राम शिवपुरा प0ह0 माधोपुर निर्णित दिनांक 20.07.2011 निर्णय ग्राम पंचायत माधोपुर

अपीलार्थी की ओर से ग्राम शिवपुरा के नामान्तरण संख्या 450 पर ग्राम पंचायत माधोपुर द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील निम्नल आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है:—

1— यह कि ग्राम शिवपुरा प.ह.माधोपुर की आराजी संख्या 175 एवं 176 योग किता—2 कुल रकबा 2.8400 हैक्टर भूमि के सहखातेदार श्री देवीलाल पिता हीरा मीणा से अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.2011 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से उसके नाम दर्ज हिस्सा 3/8 मे से सम्पूर्ण रकबा का हिस्सा 1/8 भूमि कीमतन खरीद की। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर यह नामान्तरण संख्या 450 हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया।

2— यह कि उक्त नामान्तरण संख्या 450 में अपीलार्थी द्वारा खरीद हिस्सा 1/8 भूमि देवीलाल के हिस्सा से कम करते हुए उसका हिस्सा 3/8— 1/8 यानि 1/4 दर्ज किया गया। उक्त आराजीयात में अपीलार्थी क्रेता प्रत्येक का हिस्सा भूमि खरीद से पूर्व से हिस्सा 3/32 प्रत्येक का दर्ज रेकार्ड था जिससे अपीलार्थीगण का हिस्सा 3/32+3/32 कुल 3/16 पूर्व से दर्ज था व हिस्सा 1/8 खरीद से अब अपीलार्थीगण का हिस्सा 3/16+1/8 यानि 5/16 दर्ज होना चाहिए जो न करते हुए हल्का पटवारी ने पूर्व का हिस्सा 3/16 अंकित करते हुए प्रस्तावित कर दिया एवं हमारा खरीद सुदा हिस्सा 1/8 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम जिन्होने खरीदा ही नहीं किया के हिस्सा 3/32 में जोडते हुए उनके नाम 5/16 अंकित कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा गलत हिस्सा प्रस्तावित किया गया जिस पर भू—अभिलेख निरीक्षक ने भी ध्यान नहीं दिया एवं सरपंच ग्राम पंचायत ने भी इस पर ध्यान नहीं देते हुए एवं गलत एन्ट्री प्रस्तावित होते हुए इसे स्वीकृत करने में भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय दिनांक 20.07.2011 निरस्त योग्य है।

3— यह कि अपीलार्थी ने हिस्सा भूमि खरीद की वह विक्रेता के हिस्सा से कम करते हुए अपीलार्थी के वजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हिस्सा में सम्मिलित करते हुए हल्का पटवारी ने प्रस्तावित करा दी जवकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने कोई हिस्सा भूमि खरीद नहीं की फिर भी ग्राम पंचायत ने उक्त गलती को ध्यान में नहीं रखते हुए मात्र खाना पूर्ति करते हुए बिना कौरम एवं सक्षमता के सरपंच ने अपने आपको पंचायत मानते हुए उक्त नामान्तरण संख्या 450 को स्वीकृत करने में भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

4— यह कि हल्का पटवारी द्वारा उक्त वर्णित नामान्तरण के कॉलम संख्या 16 में अपनी टिप्पणी में अपीलांट को भूमि खरीद वताते हुए कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट का हिस्सा न बढाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का हिस्सा विना किसी वैद्य एव विधिक आधार के बढाते हुए नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया एवं गलत अंकन का ध्यान रखते हुए ग्राम पंचायत ने अवैध नामान्तरण निर्णित कर दिया जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

5— यह कि नामान्तरण संख्या 450 पर निर्णय दिनांक 20.07.2011 को होकर इसकी जानकारी अपीलार्थी को जमाबंदी एवं नामान्तरण की दिनांक 28.02.2025 को नकल प्राप्त करने से प्राप्त हुई

सहायक कलेक्टर

एवं जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील नामान्तरण प्रस्तुत है। कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए नियमानुसार धारा 5 समयावधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत है। वैसे भी यह नामान्तरण अवैध नामान्तरण की परिभाषा में आता है एवं प्रावधानानुसार अवैध नामान्तरण की अपील की कोई समयावधि नहीं होती है।

6– यह कि अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नकलों के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 450 पर दिये गये निर्णय को निरस्त फरमा अपीलार्थी के पक्ष मे खरीद हिस्सा भूमि नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

.अपील पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 समयावधि अधिनियम का मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। अपील पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन से तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके व्रिरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2025 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये अपील पत्र पर एक तरफा बहस अधिवक्ता अप्रार्थी की ध्यान पूर्वक सुनी गई, अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए पटवार हल्का द्वारा हिस्सा गलत दर्ज किया जाने से पुनः सही हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन करते हुए अपील स्वीकार करने व नामान्तरण संख्या 450 में दिये गये निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज नकल जमाबंदी, नकल नामान्तरण संख्या 450 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रस्तुत विक्रय पत्र का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, जिसमें देवीलाल विक्रेता का निहित हक हिस्स 3/8 है का 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण का 1/8 हिस्सा विक्रय किया गया, नामान्तरण में विक्रेता देवीलाल का शेष हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया व लादूलाल बरदीचंद्र हिस्सा 3/16, सोहनलाल चन्द्रप्रकाश हिस्सा 5/16 पिता रूपा कालीबाई देऊबाई/कैलाशबाई पिता रूपा, जानीबाई स्व.पत्नि रूपा 1/4 मीणा सा.देह के नाम पर दर्ज कर दिया जो गलत हिस्सा दर्ज किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस अधिवक्ता अपीलार्थी से हम सहमत है कि विक्रय पत्र से खोले गये नामानतरण संख्या 450 पर दिये गये निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष मे खरीद हिस्सा भूमि का नामान्तरण सही सही दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। निर्णय नामान्तरण संख्या 450 ग्राम शिवपुरा प0ह0 माधोपुर निर्णित दिनांक 20.07.2011 के निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत माधोपुर को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूं को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशि किया जाता है कि वे अपीलार्थी के पक्ष में खरीद हिस्सा भूमि की जॉच करते हुए पुनः नामान्तरण खोल कर प्रमाणित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूं जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2026/ दिनांक :–

अपील संख्या 02/2025 व अनवान लादूलाल बनाम देवीलाल वगै. अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 450 ग्राम शिवपुरा प0ह0 माधोपुर में दिये गये न्यायालय आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी,
बेगूं जिला चितौडगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 02/2025

1. लादूलाल पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ
2. वरदीचंद्र पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ

अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता हीरा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ
2. सोहनलाल पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ
3. चन्द्रप्रकाश पिता रूपा जी मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांक :– 20.01.2026

आदेश अपील विरूद्व निर्णय नामान्तरण संख्या 450 ग्राम शिवपुरा प0ह0 माधोपुर निर्णित दिनांक 20.07.2011 निर्णय ग्राम पंचायत माधोपुर

अपीलार्थी की ओर से ग्राम शिवपुरा के नामान्तरण संख्या 450 पर ग्राम पंचायत माधोपुर द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व अपील निम्नल आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है:–

1– यह कि ग्राम शिवपुरा प.ह.माधोपुर की आराजी संख्या 175 एवं 176 योग किता–2 कुल रकबा 2. 8400 हैक्टर भूमि के सहखातेदार श्री देवीलाल पिता हीरा मीणा से अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.2011 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से उसके नाम दर्ज हिस्सा 3/8 मे से सम्पूर्ण रकबा का हिस्सा 1/8 भूमि कीमतन खरीद की। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर यह नामान्तरण संख्या 450 हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया।

2– यह कि उक्त नामान्तरण संख्या 450 में अपीलार्थी द्वारा खरीद हिस्सा 1/8 भूमि देवीलाल के हिस्सा से कम करते हुए उसका हिस्सा 3/8– 1/8 यानि 1/4 दर्ज किया गया। उक्त आराजीयात में अपीलार्थी क्रेता प्रत्येक का हिस्सा भूमि खरीद से पूर्व से हिस्सा 3/32 प्रत्येक का दर्ज रेकार्ड था जिससे अपीलार्थीगण का हिस्सा 3/32+3/32 कुल 3/16 पूर्व से दर्ज था व हिस्सा 1/8 खरीद से अब अपीलार्थीगण का हिस्सा 3/16+1/8 यानि 5/16 दर्ज होना चाहिए जो न करते हुए हल्का पटवारी ने पूर्व का हिस्सा 3/16 अंकित करते हुए प्रस्तावित कर दिया एवं हमारा खरीद सुदा हिस्सा 1/8 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम जिन्होने खरीदा ही नहीं किया के हिस्सा 3/32 में जोडते हुए उनके नाम 5/16 अंकित कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा गलत हिस्सा प्रस्तावित किया गया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी ध्यान नहीं दिया एवं सरपंच ग्राम पंचायत ने भी इस पर ध्यान नहीं देते हुए एवं गलत एन्ट्री प्रस्तावित होते हुए इसे स्वीकृत करने में भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय दिनांक 20.07.2011 निरस्त योग्य है।

3– यह कि अपीलार्थी ने हिस्सा भूमि खरीद की वह विक्रेता के हिस्सा से कम करते हुए अपीलार्थी के वजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हिस्सा में सम्मिलित करते हुए हल्का पटवारी ने प्रस्तावित करा दी जवकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने कोई हिस्सा भूमि खरीद नहीं की फिर भी ग्राम पंचायत ने उक्त गलती को ध्यान में नहीं रखते हुए मात्र खाना पूर्ति करते हुए बिना कौरम एवं सक्षमता के सरपंच ने अपने आपको पंचायत मानते हुए उक्त नामान्तरण संख्या 450 को स्वीकृत करने में भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

4– यह कि हल्का पटवारी द्वारा उक्त वर्णित नामान्तरण के कॉलम संख्या 16 में अपनी टिप्पणी में अपीलांट को भूमि खरीद वताते हुए कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट का हिस्सा न बढाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का हिस्सा विना किसी वैद्य एव विधिक आधार के बढाते हुए नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया एवं गलत अंकन का ध्यान रखते हुए ग्राम पंचायत ने अवैध नामान्तरण निर्णित कर दिया जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

5– यह कि नामान्तरण संख्या 450 पर निर्णय दिनांक 20.07.2011 को होकर इसकी जानकारी अपीलार्थी को जमावंदी एवं नामान्तरण की दिनांक 28.02.2025 को नकल प्राप्त करने से प्राप्त हुई

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

एवं जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील नामान्तरण प्रस्तुत है। कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए नियमानुसार धारा 5 समयावधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत है। वैसे भी यह नामान्तरण अवैध नामान्तरण की परिभाषा में आता है एवं प्रावधानानुसार अवैध नामान्तरण की अपील की कोई समयावधि नहीं होती है।

6— यह कि अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नकलों के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 450 पर दिये गये निर्णय को निरस्त फरमा अपीलार्थी के पक्ष मे खरीद हिस्सा भूमि नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 समयावधि अधिनियम का मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। अपील पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन से तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके व्रिरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2025 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये अपील पत्र पर एक तरफा बहस अधिवक्ता अप्रार्थी की ध्यान पूर्वक सुनी गई, अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए पटवार हल्का द्वारा हिस्सा गलत दर्ज किया जाने से पुनः सही हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन करते हुए अपील स्वीकार करने व नामान्तरण संख्या 450 में दिये गये निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज नकल जमाबंदी, नकल नामान्तरण संख्या 450 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रस्तुत विक्रय पत्र का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, जिसमें देवीलाल विक्रेता का निहित हक हिस्स 3/8 है का 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण का 1/8 हिस्सा विक्रय किया गया, नामान्तरण में विक्रेता देवीलाल का शेष हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया व लादूलाल बरदीचंद्र हिस्सा 3/16, सोहनलाल चन्द्रप्रकाश हिस्सा 5/16 पिता रूपा कालीबाई देऊबाई/कैलाशबाई पिता रूपा, जानीबाई स्व.पत्नि रूपा 1/4 मीणा सा.देह के नाम पर दर्ज कर दिया जो गलत हिस्सा दर्ज किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस अधिवक्ता अपीलार्थी से हम सहमत है कि विक्रय पत्र से खोले गये नामानतरण संख्या 450 पर दिये गये निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष मे खरीद हिस्सा भूमि का नामान्तरण सही सही दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। निर्णय नामान्तरण संख्या 450 ग्राम शिवपुरा प0ह0 माधोपुर निर्णित दिनांक 20.07.2011 के निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत माधोपुर को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशि किया जाता है कि वे अपीलार्थी के पक्ष में खरीद हिस्सा भूमि की जॉच करते हुए पुनः नामान्तरण खोल कर प्रमाणित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2026/ दिनांक :—

अपील संख्या 02/2025 व अनवान लादूलाल बनाम देवीलाल वगै. अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 450 ग्राम शिवपुरा प0ह0 माधोपुर में दिये गये न्यायालय आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़